न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/13/2022	2022/23	20.01.2022	26.04.2022

—उनवान—

1. कैलाश पुत्र मदन लाल जाति महाजन निवासी ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
2. मुरारीलाल पुत्र मदन लाल जाति महाजन निवासी ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
3. राहुल गोयल पुत्र स्व0 अशोक कुमार जाति महाजन निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
4. प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 अशोक कुमार जाति महाजन निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द नारायण पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
2. कृष्ण कान्त पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
3. मु0 बिमला देवी पत्नी मोहनप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी रैणी हाल वासी अजमेर तह0 व जिला अजमेर राज0।
4. परमानन्द पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी रैणी हाल वासी कोटा तह0 व जिला कोटा राज0।
5. हरनारायण पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी रैणी हाल वासी अजमेर तह0 व जिला अजमेर राज0।
6. विष्णुदत्त पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी रैणी हाल वासी अजमेर तह0 व जिला अजमेर राज0।
7. विनोद कुमार पुत्र फतेह चन्द जाति ब्राह्मण निवासी रैणी हाल वासी अजमेर तह0 व जिला अजमेर राज0।
8. मोहन लाल पुत्र फतेह चन्द जाति ब्राह्मण निवासी रैणी हाल वासी अजमेर तह0 व जिला अजमेर राज0।
9. उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री संतोष कुमार बंसल —वकील प्रार्थीगण

02. श्री अमरचन्द चौधरी —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रैणी के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान गोविन्द नारायण बनाम मुरारी वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र काफी समय से बहस की तारीख पेशीयों में चल रहा है। दिनांक 29.12.2021 को पेशी राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हेतु नोटिस प्राप्त हुए। दिनांक 29.12.2021 को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रैणी में प्रार्थीगण उपस्थित हुए। पीठासीन अधिकारी द्वारा मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से राजीनामा करने के लिए कहा गया। मिन प्रार्थीगण से पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि उक्त प्रकरण अप्रार्थीगण द्वारा गलत पेश किया गया है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से राजीनामा करने को दबाव दिया गया अन्यथा अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने की धमकी दी गयी। प्रार्थीगण द्वारा पुनः पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि अप्रार्थीगण राजीनामा की आड़ में प्रार्थीगण की आराजी को जबरन हडपना चाहते है। इसलिए आप बहस सुनकर मैरिट पर प्ररकण का निस्तारण कर देना। जिस पर पीठासीन अधिकारी आग—बबूला हो गये और आगामी तारीख दिनांक 25.01.

जिला कलक्टर, अलवर

2022 नियत कर दी गयी और कहा गया कि मैं उक्त तारीख को अप्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री कर दूंगा। पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में फैसला करने की गरज से जल्दी–जल्दी आगामी तारीख पेशीया नियत की गयी है। अप्रार्थीगण व पीठासीन अधिकारी आपस में साज–बाज है जिस कारण राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत रैणी में दिनांक 29.12.2021 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से राजीनामा करने अन्यथा स्वंय के द्वारा निर्णय डिक्री किये जाने की धमकी दी गयी है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट के तहत दावा पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को कोई धमकी नहीं दी गयी है। ना ही कोई राजीनामा का दबाव दिया गया है। ना ही कोई डिक्री करने की घोषणा की गयी थी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई जल्दी–जल्दी तारीखे नहीं दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद है। प्रकरण सन् 1991 से लम्बित होने के कारण सबसे पुराना है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण की कोई राजनितिक पहुंच नहीं है और ना ही पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान है। उक्त विचाराधीन वाद सन् 1991 में पेश किया गया। सन् 2004 में साक्ष्य वादी तथा सन् 2015 से बहस हेतु नियत है। काफी पुराना वाद होने के कारण निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से तंग व परेशान कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर प्ररकण का निस्तारण का कोई दबाव नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्ररकण पुराना है और दिनांक 26.10.2015 से बहस में नियत है। तब से अब तक कुल 54 अवसर दिये जा चुके है। दिनांक 08.11.2016 को अंतिम अवसर देने के बाद भी करीब 45 अवसर दिये जा चुके है। प्रकरण सन् 1991 से विचाराधीन है। राजस्व मण्डल के आदेशों की पालना में राजस्व कैम्प दिनांक 29.12.2021 से दिनांक 25.01.2022 नियत की गयी थी। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 09.02.2022 नियत की गयी। कैम्प के दौरान दोनों की पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। पीठासीन अधिकारी ना तो किसी पक्षकार को जानता है और ना ही कोई गलत मंशा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को विलम्ब करने की मंशा से प्रा0पत्र मुंतकिल पेश किया गया है। श्रीमान् उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करना चाहते है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्ररकण पुराना है और दिनांक 26.10.2015 से बहस में नियत है। तब से अब तक कुल 54 अवसर दिये जा चुके है। दिनांक 08.11.2016 को अंतिम अवसर देने के बाद भी करीब 45 अवसर दिये जा चुके है। प्रकरण सन् 1991 से विचाराधीन है। प्रा0पत्र मुंतकिल वाद के निस्तारण में देरी की मंशा से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है तथा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकरी रैणी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)